रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1976/पौष 11, 1897
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1976/PAUSA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st January, 1976

G.S.R. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 39/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, namely:—

In the said notification,—

(a) for the words, letters and figures "on the plant and machinery installed therein, as on the date of the initial installation of such plant and machinery, is not more than Rs. 7.5 lakhs", the words "on the plant and machinery only, installed therein as on the date or dates of the initial installation of such plant and machinery, is not more than rupees ten lakhs" shall be substituted;

(b) before paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"1A. Where the capital investment on plant and machinery only, installed in an industrial unit referred above as on the date or dates of the initial installation of the plant and machinery,—

(i) is less than rupees ten lakhs, exemption shall be allowed under this notification till such period the original value as on the date or dates of the initial installation of the plant and machinery plus capital investment, if any, made on plant and machinery subsequent to the date or dates of the initial installation does not exceed rupees ten lakhs;

(ii) is rupees ten lakhs, no exemption shall be allowed under this notification if any capital investment made on plant and machinery subsequent to the date or dates of the initial installation has the effect of increasing the value of the capital investment thereof in excess of rupees ten lakhs in terms of original valuation."

[No. 4/76-CE.]

N. RAJA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 3 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/73–केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) "उसमें स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी–विनिधान, जैसा कि वह ऐसे संयंत्र और मशीनरी के आरम्भिक स्थापन की तारीख को हो, 7.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है," शब्दों और अंकों के स्थान पर "उसमें स्थापित केवल संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनिधान, जैसा कि वह ऐसे संयंत्र और मशीनरी के आरम्भिक स्थापन की तारीख या तारीखों को हो, दस लाख रुपए से अधिक नहीं है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पैरा 2 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
"1क. जहां ऊपर निर्दिष्ट किसी औद्योगिक एकक में स्थापित केवल संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनिधान, जैसा कि वह ऐसे संयंत्र और मशीनरी के आरम्भिक स्थापन की तारीख या तारीखों को हो, —

(i) दस लाख रुपए से कम है, तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उस अवधि पर्यन्त दी जाएगी, जब तक संयंत्र और मशीनरी के आरम्भिक स्थापन की तारीख या तारीखों को मूल मूल्य तथा आरम्भिक स्थापन की तारीख या तारीखों के पश्चात् संयंत्र और मशीनरी पर किया गया पूंजी विनिधान, यदि कोई हो, दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो जाता ;

(ii) दस लाख रुपए है, तो इस अधिसूचना के अधीन कोई भी छूट नहीं दी जाएगी यदि आरम्भिक स्थापन की तारीख या तारीखों के पश्चात् संयंत्र और मशीनरी पर किए गए किसी पूंजी विनिधान के परिणामस्वरूप उस पर किए गए पूंजी विनिधान का मूल मूल्य मूल्यांकन की दृष्टि से दस लाख रुपए से अधिक हो जाता है।"

[सं० 4/76–के० उ०]

एन० राजा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976